

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ जिला भीलवाडा(राज0)

प्रकरण संख्या 87/2017 D.W = 4/B

गजेन्द सिंह पिता सतु सिंह राजपूत निवासी- बीकरण
बनाम — श्री

- (1) अमर सिंह पिता कल्लान सिंह राजपूत निवासी- बीकरण
 - (2) भोजा पिता जौधा रेणु निवासी- बीकरण
 - (3) हरनाथ पिता कीर्त जुर्नाट निवासी- बीकरण
- तह0 माण्डलगढ — विपक्षीगण

प्रार्थनापत्र-अन्तर्गत धारा 111-128 रा0ले0रे0ए0

- आदेश :-

दिनांक-25/5/17

प्रार्थनापत्र प्रार्थीश्री गजेन्द सिंह पिता सतु सिंह राजपूत ने जरिये अभिभाषक श्री विनोद मारन ने प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरे स्वत्व/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम बीकरण प0ह0 बीकरण तह0 माण्डलगढ मे आराजीन0 590, 598, 603, 604, 909/777 किला.5

किता 5 रकबा 15 बीघा 10 बिस्वा भूमि स्थित है। विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा फिसाद करते है। अतःपत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ मे प्रार्थनापत्र की ताईद मे शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया, प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली मे संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2071-2074 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार/ ~~गैर~~खातेदार काश्तकार है। पडौसियान के विवाद करने बाबत शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर काई विपरीत प्रभाव नही पडता है।

अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0ले0रे0ए0 स्वीकार किया जाकर ग्राम बीकरण की आराजी न0 290, 598, 603, 604, 909/777 किला.5 रकबा 05 बीघा 15 बिस्वा 10 की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढी किये जाने के आदश दिये जाते है। भू-अभिलेख निरीक्षक को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस 800 /रूपये वक्त पत्थरगढी प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। एवं पत्थरगढी की शुल्क राशि 100 /रूपये राजकोष मे जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार, माण्डलगढ को लिखा जावे।

प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया।

2